[Shri Madhusudan Vairale]

could be quite a few agencies either deliberately or without intention playing into the hands of those who want that our mind, if not wholly, at least a part of it, should be poisoned, morale should be weakened and I am afraid, unless we take precautions, we would be in difficulties.

I know, it is not the direct duty of the Department of Defence. I hope, the Hon. Defence Minister will excuse me, but when I talk of the car I have necessarily to talk of the stepney along with the car. And that is why I am mentioning this. This is an important factor. As a patriot, I myself get a suspicion many times that indirect attacks in a certain way are being made through propaganda, through radio, TV and even through international news agencies and section of media.

PROF. SAIFUDDIN SOZ (Baramulla) : Which radio and which television ?

SHRI MADHUSUDAN VAIRALE : It depends, which station you tune to. I would say that radio happens to be one. It only depends on which wavelength you are. It only depends to which station you tune. It depends on which news you would like to hear. It depends on these and other things ; and that is why more and more powerful radio transmitters are being put in all around our country. That is why Voice of America is stronger in Sri Lanka.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Vairale, I think you are not going to conclude quickly, because you are making our points very strongly. So, you can continue tomorrow.

Now we take up the Half-an-Hour Discussion. Shri Ram Vilas Paswan.

18 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Enquiry Report Regarding Delhi Electricity Supply Undertaking Bill

श्री राल विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा कि यह इतने लोक महत्व का प्रश्न है और यहां हमारे मित्र श्री आरिफ मोहम्मद खां साहब बैठे हैं, उनसे मुझे पूरी सहानुभूति है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मंत्री महोदय को बुलाएं।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई-उत्तर मध्य) : मंत्री महोदय कहां हैं ?

SHRI RAM VILAS PASWAN : Sir, I want that the Cabinet Minister, Mr. P. Shiv Shankar should be present here, because what I am saying is that day before yesterday when this Half-an-hour discussion was listed, then also yester- Shiv Shankar was here but he was not present in the House. To-day also he is in Delhi, in his office.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN) : This is no impropriety.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर हूं।

श्री रामविलास पासवान : मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें कई अफसर पकड़े जा चुके हैं और मैटर इतना कांप्लीटकेटेड है कि कैबिनेट रैंक का मंत्री ही हो।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर रामविलास पासवान जी कांप्लीकेटेड मैटर उठा सकते हैं तो मैं उस कांप्लीकेटेड मैटर का जवाब भी दे सकता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : If you are not satisfied with his replies, then you can say this, and ask for the Hon. Minister's presence.

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत परिश्रम करने के बाद यह प्रश्न सदन के पटल पर आया है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is joint responsibility of the Council of Ministers. Any Minister can represent Government. Under what rule are you insisting that the Cabinet Minister should be here ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF SPORTS, IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : It will set a wrong precedent. What for are other Minister there ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : The Minister may be busy.

SHRI RAM VILAS PASWAN : The Minister of State cannot decide policy matters. Only the Cabinet Minister can do it.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN: I object very firmly to this.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Paswan, on your request, the Cabinet Minister has come. There is a proverb in Tamil that if you are hit in your head, it should happen with a golden ring.

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम श्री शिवशंकर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने पहले भी कहा है कि जितना मैं आपको रिगार्ड करता हूं उतना ही श्री आरिफ मोहम्मद खां साहब को रिगार्ड करता हूं। लेकिन मामला इतना कांप्लीकेटेड है कि जब मंत्री महोदय इसका जवाब देंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगें। आसाम के मामले से भी ज्यादा कांप्लीकेटेड है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं इसलिए कह रहा था कि इतना अहम सवाल है। इस प्रश्न को मैंने सबसे पहले 10 अगस्त, 1982 को उठाया था। इसलिए उठाया था कि संसद सदस्यों और आम लोगों की यह शिकायत थी कि बिजली के बिल अनाप-शनाप ढंग से चलते रहते हैं। कोई मीटर रीडिंग करने वाला नहीं है। न कोई बोर्ड में उसको चैक करता है।

मैंने स्पीकर महोदय, को भी पत्र लिखा था कि हम लोगों के बिलों में सुधार करने की कोशिश की जाए। लेकिन, हमेशा यही जवाब आता था कि मीटर रीडिंग की गई है और जो बिल आपके पास गया है, वह सही है। तब मेरे दिमाग में बात आई और इसीलिए 10 अगस्त, 1982 को एक प्रश्न किया था। क्या यह सच है कि उपभोक्ताओं को अनुसूचित ढंग से बने बिजली के अधिक राशि के बिल भेजे जाते हैं जबकि नयी दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अधिकारियों को बावजूद इस तथ्य के कि उनके पास टेलीविजन, रेफरीजरेटर और गीजर हैं, अत्यन्त कम होते हैं ? यदि हां, तो नगर पालिका के मुख्य इन्जीजिनयर, सुपरीन्टेंडिंग इन्जीनियर, एक्जीक्युटिव और सहायक इन्जीनियर तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय सस्थान के मुख्य इन्जीनियर, अतिरिक्त इन्जीनियर, सुपरीन्टेंडिंग इन्जीनियर कार्यकारी इन्जीनियर और सहायक इन्जीनियर के गत दो वर्षों में बिजली के बिल क्या हैं और उनका प्रतिमाह धनराशि व्योरा क्या है ? मंत्री जी ने जवाब के अंत में कहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है और इसको सदन के पटल पर रख दिया जाएगा। उसके बाद एक साल बीत गया। इसको सदन के पटल पर नहीं रखा गया। फिर, मैंने दूसरा प्रश्न 12 अप्रैल 1983 को किया। संयोग से वह स्टार्ड क्वेश्चन के रूप में वैलेट में दूसरे नम्बर पर आ गया। मंत्री महोदय ने उसका जवाब दिया कि

[श्री रामनिवास पासवान]

सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी। उस दिन काफी हंगामा हुआ। मंत्री महोदय ने इस बात को कबूल किया कि किसलिए सूचना एकत्र कर रहा हूं। उन्होंने जो कहा, वह मैं पढ़कर सुनाता हूं :

> "Information is being collected and will be laid on the Table of the House." Then he further said, "We just stopped out some officer; e.g., one gentleman by name I.C. Sangar, Chief Engineer. His bills reveal that for April 1980, it is Rs. 28.20. I am reading whatever is there." Then he further said, "I am myself not satisfied tnat a person has to pay Rs. 20/-, Rs. 25/- or Rs. 26/-. Quite a number of officers are of this nature. Then he further said, "I am personally not happy with the bills of many officers which have come to my knowledge."

इसके बाद फिर इन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि मैं तीस अप्रैल को सदन के पटल पर पूरी इन्फार्मेशन रख दूंगा। मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने 29 अप्रैल को ही सारे तथ्य सदन के पटल पर रख दिए। मैं समझता हूं, मंत्री जी के पास पूरा का पूरा बंडल जवाब का है और मेरे पास भी है। मैंने सब आंकड़े एकत्र किए हैं। वह मैं आपको बताना चाहता हूं। 113 अधिकारी ऐसे हैं जिनका बिल प्रति माह 20 रुपए से लेकर तीस रुपए है। 124 अधिकारी ऐसे हैं जिनका बिल दस रुपये से लेकर बीस रुपए तक है। बीस अधिकारी ऐसे हैं जिनका पांच रुपए से लेकर दस रुपए प्रतिमाह का बिल है। उनके नाम मैं बताना चाहता हूं। सर्वश्री,

एच०पी गुप्ता,
बी०पी मिनोचा,
एस०बी० सूद,
बी०डी० गर्गेश,
ए०एस० इरानी,
आर०एस० अरोड़ा,
टी०सी० अग्रवाल,
वेद प्रकाश गर्ग,
बी०डी० सहगल,
गुरदीप सिंह।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please do not mention any names. It will not be proper. They have no chance to defend themselves.

SHRI RAM VILAS PASWAN : These 20 officers names are in the reply given by the Minister. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : You need not mention all the names.

श्री रामविलास पासवान : मैं इसको रिकार्ड पर लाना चाहता हूं सर्वश्री सी० एल० चड्ढा, रमेश चन्द्र जैन बी०पी० बंसल, बी०एस० मजूमदार, बाल किशन टमटा, बी०के० खन्ना, बी०डी० रावत, रामनाथ, एस०पी० गुप्ता और वाइ०के० सचदेव यह जवाब में है। इन आफिसरों का बिल पांच रुपए से लेकर दस रुपए तक है।

These bills are clear. They are of both sides of people. The Hon. Speaker had complimented us and the Hon. Minister also knows it. So it is very important. I think you will also compliment me.

सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि आठ अधिकारी ऐसे हैं जिनके बिल एक रुपए से पांच रुपए तक है। श्री आर०के० शर्मा के पांच रुपए 68 पैसे और श्री आर० पी० शर्मा के चार रुपए 69 पैसे और श्री एस०एस० जिन्दल के पांच रुपए 97 पैसे

प्रति माह हैं। श्री राम श्रीमणी 4.41, श्री पी०के० रे, 4.55 पैसे, श्री डी०पी० कपूर, 4.66 पैसे, श्री वी०के० मैत्रेय, 4.36 पैसे, श्री डी०डी० वशिष्ट, 1.70 पैसे श्री एस०एस० जिन्दल, 5.97 पैसे, श्री आर०पी० शर्मा 4.69 पैसे और श्री आर० के० शर्मा, 5.68 पैसे।

अब आप एन०डी०एम०सी० के स्टाफ की बात सुन लें, यहां जो पार्लियामेंट हाउस ऐनेक्स में जो उनका स्टाफ है भगवान का दिया हुआ है। पार्लियामेंट का स्टाफ आता है पौने दस बजे, तो एन० डी०एम०सी का स्टाफ आता है पौने 11 बजे यह लंच के लिए जल्दी भी जायेंगे और लौटेंगे भी देर से। पार्लियामेंट स्टाफ लंच से 2 बजे लौट कर आयेगा तो एन० डी०एम०सी० का स्टाफ 3 बजे लौटकर आयेगा। तीन दिन घूमने के बाद भी उनसे मुलाकात नहीं हुई। मैंने शिकायत की है, पता नहीं उसका क्या हुआ। एन०डी०एम० सी० के एक एस०एस० वर्मा, ऐक्जीक्यूटिव इन्जीनियर हैं उनका जुलाई 1980 का बिल है 27 रु० का, अगस्त का 27 रु० का, सितम्बर का 27 रु० का और दिसम्बर 1980 का बिल है 21 रु० का और दिसम्बर 1980 के बाद सितम्बर 1981 में 9 महीने का बिल है 5.41 पैसे। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, नहीं तो हमारे पास पूरी लिस्ट है। और हमारा बिल कितना आता है? अप्रैल 1980 में बिल आता है 90 रुपए का, वहीं आकर के दूसरे महीने में 160 रु०, तीसरे महीने में 242 रु०, सातवें महीने में 287 रु० और 5. 1. 1981 को 408 रु० का हमारा बिल आता है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : You can read the Ministers' bills also.

SHRI RAM VILAS PASWAN : Ministers' Bill, he will see. He has already said that Rs. 1,700 or Rs. 2,800 per month is paid. That is the average.

8.2.83 को मेरा बिल आया 708 रु० का।

इसी तरह से दूसरे माननीय सदस्यों का यदि देखें, माननीय राजनाथ सोनकर ने हमें एक लिस्ट भेजी हैं जिसके अनुसार जनवरी, 1981 में 35.40 पैसे जनवरी, 82 में 161.50 और जनवरी, 1983 में 273.76 का बिल आया। फरवरी, 1981 में 34.40 पैसे। फरवरी, 1982 में 305.96 पैसे, फरवरी, 1983 में 507.90 पैसे। मार्च, 1981 में 38.40 पैसे, मार्च 1982 में 337.95 पैसे और मार्च, 1983 में 370.92 पैसे।

इसी तरह से माननीय बहुगुणा जी का बिल 11.2.83 को कुल मिलाकर 475 रु० था वही बढ़ कर के दिसम्बर, 1983 में हो गया 806 रु० प्रति माह।

इसी तरह से श्री अटल बिहारी बाजपेयी का फरवरी, 1983 में 597 रु०, मार्च में 595 रु०, अप्रैल में 562 रु०, मई में 486 रु०, जुलाई में 627 रु०, अगस्त में 747 रु०, दिसम्बर, 1983 में 1,166 रु०, और जनवरी, 1984 में 1,185 रु०। यह इलैक्ट्रिसिटी चार्जेज हैं। आप समझ सकते हैं मंत्री जी, यह तो पार्लियामेंट के मैम्बरों का मामला है। जो मेम्बर आफ पार्लियामेंट कमाता है 1500 रुपए अगर उसको 1100रुपए इलेक्ट्रासिटी चार्जिज देने पड़ें, तो वह चोरी नहीं करेगा, तो क्या करेगा—वह घर नहीं बेचेगा, तो क्या करेगा? या वह चन्दा मांगेगा। दूसरी तरफ अधिकारियों के बिलों की

[श्री रामविलास पासवान]

क्या स्थिति है ? यदि किसी के घर में बिजली न भी जले, यदि किसी के घर पर ताला लगा हो, तो भी 8 रुपए प्रति-मास मिनिमम चार्जेज होते हैं। लेकिन सब अधिकारियों का बिल 1 रुपया 70 पैसे या 2 रुपये है। इसमें क्या वर्गलिंग है ?

जब मैंने चौथी बार 26 गुलाई, 1983 को प्रश्न किया, तो मंत्री महोदय ने कहा कि मैंने जांच का आदेश दिया है। फिर मैंने पांचवीं बार इस मामले को उठाया। एक मैम्बर आफ पार्लियामेंट का टर्म चार पांच साल का होता है। यदि पांच साल में केस का निवटारा न हो, और यदि पासवान दूसरी मर्तवा जीत कर यहां न आए, तो फिर कौन इस मामले को उठाएगा? इस देश की ब्यूरोक्रेसी का यह हाल है। जब 5 अगस्त, 1983 को मैंने इस बारे में कहा, तो उस समय इस मंत्रालय के मंत्री महोदय श्री चन्द्रशेखर सिंह थे, जो अब हमारे राज्य के मुख्य मंत्री बन गए है। उन्होंने जवाब दिया :—

> "So far as the cases of corruption which Mr. Ram Vilan Paswan rightly pointed out in his question during the last Session, we have given, in course of reply, detailed information on these issues. We have ourselves pointed out that these are the various irregularities which are apparent in the information that we have got from DESU...I would like to assure Mr. Parwan that we will see that adequate action or punishment is given to the officer who is found guilty of such malpractices."

जब मैंने दूसरे सेशन में 26 नवम्बर को प्रश्न किया कि विजिलेंस द्वारा जांच किए जाने के पश्चात क्या एक्शन लिया गया है, तो मंत्री महोदय ने कहा कि विजिलेंस की जांच समाप्त हो गई है, यदि हां, तो उस पर क्या एक्शन लिया गया है। मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि एनक्वायरी चल रही है।

कल—20 मार्च, 1984 को—अनस्टार्ड क्वैश्चन नम्बर 3833 में मंत्री महोदय से पूछा गया :—

> "Whether there has been leakage of electricity in the bills of DESU officers in the Capital."

To that the Minister of State for Energy, Shri Arif Mohammad Khan replied :

> "It was noticed that electricity consumption as shown in the bills of some DESU officers was abnormally low. The Vigilance Department of DESU is inquiring into the matter. Suitable action will be taken on receipt of the report."

16 तारीख के **जनयुग** में छपा है : "दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) के करीब पचास अधिकारियों को सतर्कता विभाग ने बिजली चोरी का दोषी ठहराया है।" यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि इन अफसरों को बचाने की कोशिश की जा रही है और मंत्री पर प्रैशर डाला जा रहा है। मुझे मंत्री महोदय की काबिलियत और इनटेग्रिटी पर कोई डाउट नहीं है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वोल्डनेस का परिचय दिया है। मुझे आशा है कि आज भी जब वह जवाब देंगे, तो करप्शन को दूर करने के लिए सख्त कार्यवाही करने की घोषणा करेंगे। यह संस्थान एक पब्लिक अंडरटेकिंग है। समय नहीं है कि मैं बताऊं कि पब्लिक अंडरटेकिंग्ज की आज क्या स्थिति है। मंत्री महोदय मुझ

से ज्यादा जानते हैं कि उनमें कैसे सफेद हाथी बैठे हुए हैं। पहली दफा मछली जाल में पकड़ी गई है। अब देखना यह है कि क्या जाल मजबूत है या मछली बलवान है जाल इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि मछली उसको तोड़ कर निकल जाए।

मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह सिर्फ डेसू के बारे में जवाब न दें। डेसू और एन०डी०एम०सी० दोनों समान रूप से दोषी हैं और दोनों का बंधा हुआ है। मेरे पास समय नहीं है, वर्ना मेहनत कर के जितना मैटीरियल मैंने इकट्ठा दिया है, उसके आधार पर मैं इस विषय पर आठ घंटे तक बोल सकता हूं।

यह डेसू है, इसके 27 हजार कर्मचारी हैं, इसके 12 लाख कन्ज्यूमर हैं। जिले कितने हैं ? 15 जिले हैं जब कि 50 हजार के ऊपर एक जिला हो तो 24 जिले होने चाहिए। एक अभियन्ता 60 लोगों की देख भाल करता है जब कि नियमत: उसको 10 की देखभाल करनी चाहिए।

दिल्ली में 46500 छोटे उद्योग हैं। इन में से 26500 अनधिकृत हैं जिनका दिल्ली नगर निगम में पंजीकरण नहीं है जिनका कोई लाइसेंस फी तक नगर निगम को नहीं मिल रहा है लेकिन उनको बिजली मिल रही है। यही कारण है कि ओवर-लोडिंग होता है और ब्रेकडाउन होता है। यह हमारे पास मई, 1983 का **माया** का अंक है इस में पूरी की पूरी रिपोर्ट दी हुई है, पूरा इन्वेस्टिगेशन उस में दिया है कि कैसे-कैसे करप्शन होता है। नजफगढ़ रोड पर एक फैक्ट्री है जिसको 45 किलोवाट बिजली की इजाजत है लेकिन 65 किलो-वाट बिजली वह उठा रहा है।

उसी तरीके से आप देखें, कम्प्यूटर सिस्टम है। कम्प्यूटर के 60 प्रशिक्षित कर्मचारी जो होने चाहिएं वह उस में नहीं हैं। अभी तक सरकारी आंकड़े के अनुसार 60 मीटर रीडर इन्सपेक्टर्स की कमी है। 4 लाख उसभोक्ताएं हैं जिनको बोनस बिल भेजा जाता है यह कुछ दिन पहले निकला था। एवरेज निकाल कर भेज दिया जाता है। यह कम्प्यूटर सिस्टम आपका है। जो पैसा जमा करता है, इस कम्प्यूटर सिस्टम में वह उसका पैसा ऐड नहीं होता है और फिर उसका बिल चला जाता है। लोग चक्कर लगाते रहते हैं, लेफ्ट-राइट करते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि 1977 के सर्वेक्षण के अनुसार 90 परसेंट कनेक्शन के ऊपर मीटर टर्मिनल और एम० जी०ओ०की सील नहीं थी ? 1977 में न तो मीटर टर्मिनल था न एम०जी०ओ० की सील थी।

मैंने एक प्रश्न किया था, उसके जवाब में मंत्री महोदय ने कहा था कि डेसू में 6-6-80 से जनरल मैनेजर नहीं है। अब जिसका जनरल मैनेजर नहीं होगा उसका मैनेजमेंट क्या होगा ? पिछले चार साल से डेसू में जनरल मैनेजर नहीं है, न तो टेकनिकल साइड में है न ऐडमिनिस्ट्रेटिव जनरल मैनेजर है। कोई नहीं है। प्रति वर्ष 1 हजार कर्मचारी रिटायर होते हैं। उनकी भर्ती का कोई नियम नहीं है।

कभी मैं और दूसरी चीजों में नहीं जाऊंगा कि दिल्ली में कितने पावर हाउ-सेज हैं और कितनी किसकी क्षमता है। इन्द्रप्रस्थ की क्षमता 250 मेगावाट की है और राजघाट की 20 मेगावाट की है जब कि दिल्ली की जरूरत 650 मेगावाट की है।

मैं कल गया था कांगड़ा निकेतन कालोनी में जो विकासपुरी ब्लाक में है। सितम्बर 83 से लोगों को उसका पजेशन दे दिया गया है और आज तक वहां बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया।

मंत्री महोदय को मालूम है यह बिजली का कनेक्शन कौन देगा; बिजली का खम्भा कौन गाड़ेगा ? सब-स्टेशन कौन बनाएगा ? यह सब का सब ठेकेदार बनाता है जिसका कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है। किसी मकान में आग लग जाती है, किसी में कुछ हो जाता है। कोई देखने वाला नहीं है। सारा का सारा काम कांट्रैक्टर के माध्यम से चलता है।

वही काम डेसू या एन०डी०एम०सी० अपना करवाना चाहे तो कम से कम 20 हजार नये लोगों को एम्पलायमेंट मिल सकता है। नया कनेक्शन देने में 40 रुपये से 400 रुपये तक घूस देनी पड़ती है। पावर कनेक्शन के लिए कहा जाता है 10 हजार रुपये तक मिनिमम चार्ज है।

लाइन लास पांच परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकारी आंकड़े के मुताबिक 17 परसेंट लाइन लास है यह सब कहां जाता है ? कभी बिजली की रीडिंग नहीं होती, कभी मीटर रीडिंग नहीं होती। अधिकारियों और कर्मचारियों की सांठ-गांठ से स्विच आफ कर दिया जाता है। अब आपने सब स्टाप कर दिया, न उसमें रीडिंग आएगी न कुछ आएगा। किसी का बिल 1 रुपया 70 पैसे होगा किसी का बिल कुछ नहीं होगा। मैंने देखा है कि एक कर्मचारी का बिल 8-8, 9-9 महीने तक जीरो आता है। तो यह बिजली की चोरी और ये सारी चीजें भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली हैं। कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। आप मेम्बर पार्लियामेंट हैं, आप टेलीफोन कीजिए, आपके टेलीफोन करने पर कोई नहीं आता है तो आम आदमी के फोन करने पर कौन आएगा। बेचारा चक्कर लगाता रहता है दो हजार का बिल आया तो आया। हम लोग स्पीकर साहब से मिलते हैं। मेम्बर पार्लियामेंट मिलते हैं तो स्पीकर साहब भी लिख कर देते हैं। लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। तीन दिन से हमारे आंगन में इतना गन्दा पानी लगा हुआ है। नाली बन्द है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं यह सारे के सारे करप्शन के अड्डे हैं। इससे पहले भी करप्शन चार्जेज में अधिकारी सस्पेंड किए गए थे लेकिन रीइन्स्टेट भी कर दिए गए पोलिटिकल प्रेशर पर। इसलिए उनको आदत पड़ गई है और वे समझते हैं सस्पेंड होंगे तो रीइन्स्टेट भी हो जायेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस करप्शन के मामले पर जब आप जवाब दें तो ठीक से जवाब दें।

इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि शादी-ब्याह के अवसर पर कितनी बिजली जलती है उसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। मैंने सारा इन्वेस्टिगेशन किया है लेकिन वह बतलाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं प्वाइन्टेड सवाल ही पूछना चाहूंगा।

पहली बात तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जो विजिलेन्स की इन्क्वायरी हुई उसकी रिपोर्ट आई है या नहीं ? यदि आई है तो उसमें किस-किस रैंक के कितने-कितने आफिसर दोषी पाये गए हैं ? उनके खिलाफ

आपने क्या कार्यवाही खड़ी की है या क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं क्या यह सही है कि पहले डेसू और एन० डी०एम०सी० के अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में सस्पेंड किया गया था लेकिन बाद में उनको काम पर ले लिया गया ? मैं यह भी जानना चाहूंगा क्या आप डेसू और एन०डी०एम०सी० के कार्यकलापों की जांच करने के लिए कोई हाई-पावर प्रोब कमेटी बिठायेंगे ? केवल बिलों और स्टोर्स में ही नहीं, अन्य प्रकार के घोटाले भी होते हैं जैसे कि इन्द्रप्रस्थ पावर हाउस में 60 लाख की लागत का एक ट्रांसमीटर आया था जोकि चला ही नहीं, दूसरे दिन ही खराब हो गया। तो इस तरह से जो करोड़ोंअ-रबों रुपये को बंगलिंग है इसकी जांच करने के लिए क्या आप एक हाई-पावर प्रोब कमेटी बिठायेंगे ?

इसके साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि डेसू की वार्षिक रिपोर्ट 1981-82 के बाद माननीय मन्त्री जी ने इस सदन में पेश नहीं की है जबकि अब सन् 1984 चल रहा है। एन०डी०एम०सी० की रिपोर्ट इस सदन में पेश होनी है या नहीं लेकिन मैं समझता हूं कम-से-कम उसकी रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष इस सदन में पेश होनी चाहिए। साथ ही आप करप्शन के मामलों की जांच एक हाई पावर कमेटी बनाकर करवायें। इसके अतिरिक्त आपने जिनको सीधे ही करप्शन में पकड़ा है उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है और यह जो 162 पदाधिकारी करप्शन के दोषी पाए गए हैं, इतने ही अधिकारी करप्शन के दोषी हैं या सेन्ट परसेन्ट दोषी हैं तथा इनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? साथ ही वहां पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वह अगर पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकता तो जहां तक सम्भव हो उसको कम करने का प्रयत्न किया जाए।

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य राम विलास पासवान जी ने जो अनियमितताओं के मामले बताए हैं वह उसी डाकूमेन्ट से बताए हैं जोकि माननीय ऊर्जा मन्त्री जी ने इस सदन में 23 अप्रैल, 1983 को रखा था। अनियमितता या भ्रष्टाचार कहीं किसी भी रूप में हो, उसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाया जाए या सरकार को उसकी जानकारी हो तो मैं इस माननीय सदन को आश्वासन देना चाहूंगा कि उसको दबाया जायेगा, रोका जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने में जो अनियमितताओं या भ्रष्टाचार के दोषी हैं, किसी भी प्रकार की कसर उठा कर नहीं रखी जाएगी। लेकिन कोई कार्यवाही करने से पहले जो वैधानिक प्रावधान है, जो तरीका है, जो ड्यू प्रौसैस आफ लॉ है, उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। यदि किसी को कोई अपराध करते हुए सड़क पर देख भी लें, तो भी देखने वाले को यह अधिकार नहीं है कि वह अपराधी को सजा दे दे। अपराधी को सजा देने के लिए कानून के मुताबिक, विधान के मुताबिक, मुकद्दमे में जो फैसला होगा, उसी के अनुसार सजा दी जाएगी। यह कहना भी उचित नहीं है कि यह मामला 10 अगस्त, 1982 से चल रहा है यह। सही है कि पहले माननीय सदस्य ने 10 अगस्त, 1982 को प्रश्न पूछा था। उसका जवाब 29 अप्रैल, 1983 को दिया गया। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था, वह लगभग 463 अधिकारियों के बारे में पूछा था। मैं समझता हूं कि इतने अधिकारियों की सूचना एकत्रित

[श्री आरिफ मोहम्मद खां]

करना कोई आसान काम नही था। उसमें समय लगाना ही था। उसका उत्तर 29.4.1983 को दिया गया। इसके बाद 26 जुलाई को प्रश्न जो पूछा गया था, वह उसी सूचना से उत्पन्न हुआ था, जो सूचना ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इस माननीय सदन में दी गई थी। हमने यानि माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने खुद यह महसूस किया कि इस में बिल इस प्रकार के आए हैं जो उचित प्रतीत नहीं होते हैं, इसलिए आपके प्रश्न पूछने से पहले ही हमें भी लगा कि इसमें अनियमिततायें हैं। हमें भी लगा कि यह मामला कुछ ठीक नजर नहीं आता है। इसलिए आपके पूछने से पहले ही 3 मई, 1983 को ऊर्जा मंत्रालय ने डेसू को इस मामले की पूरी जांच करने के लिए कहा। आपने ऐसे किसी विभाग द्वारा जिसका सीधा संबंध मीटर-रीडिंग और बिल्डिंग से न हो। 28 जुलाई, 1983 यह तारीख मैं समझता हूं कि आपके प्रश्न पूछने की तारीख भी तकरीबन वही है....

श्री रामविलास पासवान : मंत्री जी एशयोर किया था कि अप्रैल में ही जांच करवायेंगे। इसलिए आपका यह कहना गलत है। वह स्टार्ड क्वैश्चन में कह दिया था।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : चूंकि माननीय मंत्री जी ने इस पूरे मामले की जांच कराने का फैसला ले लिया था इसलिए ऐसा कहा गया। श्रीमन् डेसू से इस मामले की पूरी जांच कराने के लिए कहने के बाद कि किसी ऐसे अधिकारी से जिसका सम्बन्ध मीटर-रीडिंग और बिलिंग से न हो, उसने 28 जुलाई को अपनी रिपोर्ट दी, जिस अधिकारी द्वारा वह जांच कराई गई। ऊर्जा मंत्रालय का मत था कि इस अधिकारी द्वारा जांच नहीं कराई जाए, उस रिपोर्ट को भी इसलिए स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उसका शुरूआत से कहीं न कहीं सम्बन्ध मीटर रीडिंग और बिलिंग से था। पहले निर्देश के अनुसार किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जिनका संबंध न हो 10 अगस्त को ऊर्जा मंत्रालय ने फिर डेसू को इसकी जांच करने के लिए कहा। डेसू के एक सतर्कता विभाग द्वारा 3 सितम्बर को जांच प्रारम्भ कर दी। एक तथ्य आपकी जानकारी के लिए मैं और लाना चाहूंगा, जिसको मैं छिपाना नहीं चाह रहा हूं। किन्हीं कारणों से डेसू का विजीलेंस डिपार्टमेंट ठीक काम नहीं कर रहा था। वहां पर डायरैक्टर विजीलेंस ने अगस्त, 1983 को अपना कार्यभार संभाला 15 सितम्बर को डेसू सतर्कता विभाग ने इस मामले की कार्यवाही शुरू कर दी। इस आधार पर कि कौन अधिकारी क्या तनख्वाह पाता है, स्तर क्या है, उसका घर कितना बड़ा है और उसके घर में साधारणतया कितनी बिजली खर्च होनी चाहिए कुछ मापदण्ड बनाये गये। उसके बाद जो सूचना सदन के पटल पर रखी गई थी उस में से कुछ ऐसे मामले निकाले गये जिनमें अधिकारियों के बिजली और पानी के बिल साधारण रूप से कम थे, उन मामलों को डेसू के पास जांच करने के लिए दोबारा भेजा गया....

श्री रामविलास पासवान : एन०डी० एम०सी० के क्यों नहीं गये ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उनमें वे भी शामिल हैं। मैं किसी ऐसी बात के बचाव का काम नहीं करना चाहता हूं जो

गलत है, लेकिन यह भी सही है कि सिर्फ इस आधार पर कि कितने रुपये का बिल आया है, किसी को सजा देना मुश्किल है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मीटर रीडिंग नहीं हो पाई है या कई महीनों को मिलाकर बिल दिया गया है····

श्री रामविलास पासवान : ऐसा नहीं है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं ऐसे मामलों में कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि किसी अधिकारी ने किस महीने में कितने रुपये का भुगतान किया है, इस आधार पर न उसे दोषी ठहरा रहा हूं और न दोषमुक्त कर रहा हूं लेकिन जो सही आधार है उसको मालूम करना आवश्यक है, वह आधार उचित है या अनुचित है या उसके यहां कितनी बिजली खर्च की गई है और बिल कितने का दिया गया है तथा मेम्बर पार्लियामेंट या किसी अन्य व्यक्ति के साथ तुलना करते वक्त हमें यह भी देखना होगा कि माननीय संसद सदस्य को कोई छूट नहीं है जब कि डेसू के अधिकारियों को छूट दी जाती है, उनके वेतन के आधार पर उनको वह छूट मिलती है, यदि आप इसको विस्तार से जानना चाहें कि कितनी छूट मिलती है तो मैं वह भी बतला सकता हूं····

श्री रामविलास पासवान : आप जरूर बतलाइये, क्योंकि वही तो मुख्य बात है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जो अधिकारी जिस स्तर का है, उसके हिसाब से छूट दी जाती है । मैं साधारण कन्ज्यूमर और अधिकारी की तुलना करते हुए बतलाना चाहता हूं—मान लीजिये एक परिवार एक महीने में 100 यूनिट कन्ज्यूम करता है, तो क्लास 1 अधिकारी का बिल 14 रुपये 20 पैसे का आयेगा, क्लास 2 अधिकारी का बिल भी 14 रुपये 20 पैसे का आयेगा, लेकिन जिनको छूट नहीं है, यानी एक साधारण कन्ज्यूमर को उसका 31 रुपया देना पड़ेगा । अगर किसी का 500 यूनिटस कन्ज्पशन का बिल है तो क्लास 1 अधिकारी को 130 रुपया देना होगा, क्लास 2 अधिकारी को 142 रुपये देने होंगे, लेकिन आपको और मुझे उसके 182 रुपये देने पड़ेंगे ।

श्री रामविलास पासवान : लेकिन बिजली न जले तो कम से कम का मिमिमम चार्ज भी होता है, आप बतलाइये कि बिजली न जलाने पर कितना मिनिमम देना पड़ेगा ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अगर आप चाहेंगे तो यह सूचना मैं आप को भेज दूंगा ।

श्री रामविलास पासवान : लेकिन यह महत्वपूर्ण सूचना है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेरा विस्तार में जाने का तात्पर्य केवल इतना है कि इस मामले का एक पहलू यह भी है कि उन अधिकारियों को बिल में छूट दी जाती है । मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं और माननीव सदस्य रामविलास जी को फिर आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस मामले में हमारी तरफ से कोई कमी उठा कर नहीं रखी जायेगी—खासतौर से अनियमितताओं को रोकने और उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने में जो इसके लिये दोषी हैं । डेसू के अधिकारियों के लिए दरों में जो छूट की बात मैंने कही है, वह इस तरह से है । क्लास 1 के अधिकारियों को 200 यूनिट की छूट है ।

श्री रामविलास पासवान : पहले कुछ बोले हैं और अभी कुछ बोल रहे हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं कुछ नहीं बोला हूं। आप गौर से सुन लें। अगर इतने यूनिट के बाद वे कन्ज्यूम करेंगे, तो उन को छूट नहीं है।

श्री रामविलास पासवान : सीनियर मंत्री जी बैठे हुए हैं, वे इसे रेक्टिफाई कर दें। अभी इन्होंने बताया था कि अगर इतने यूनिट वे कन्ज्यूम करेंगे तो उन्हें इतना देना पड़ेगा और हमें इतना देना पड़ेगा और अब ये 200 यूनिट की बात कर रहे हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैंने यह कहा है कि ये छूट की दरें हैं। छूट की दरें क्लास 1 के अधिकारियों के लिए 200 यूनिट है, क्लास 2 और क्लास 3 के अधिकारियों के लिए 150 यूनिट और क्लास 4 के कर्मचारियों के लिए 100 यूनिट हैं। जो कन्सेशनल टैरिफ है, वह इतने यूनिट्स के कन्जंपशन तक इन अधिकारियों पर लागू है और अगर वे इससे ज्यादा खर्च करेंगे, तो उनको भी उन्हीं दरों पर भुगतान करना पड़ेगा, जिन दरों पर दूसरा साधारण नागरिक भुगतान करता है।

आपने विजीलेंस की बात कही। इसी इसी महीने इसका उत्तर दिया जा चुका है। विजीलेंस डिपार्टमेंट द्वारा इस मामले की जांच चल रही है।

श्री रामविलास पासवान : एक साल से ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : एक साल से नहीं, 5 सितम्बर से यह जांच चल रही है।

SHRI RAM VILAS PASWAN : Sir, you are in the Chair. It is your duty to protect the Hon. Members.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will protect both of you. Don't worry. But let him complete.

श्री रामविलास पासवान : 1982 से यह मामला चल रहा है। ज्यों ही मिनिस्टर साहब की नालिज में यह मामला आया, इन्क्वायरी उसी समय स्टार्ट हो गई और अब इसको दो साल हो गये हैं। अब 1984 चल रहा है और दो साल में अगर यह नहीं हो पाया, तो कब होगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : डेसू के सतर्कता विभाग द्वारा इसमें जांच की जा रही है। 5 सितम्बर को यह जांच शुरू हुई है।....(व्यवधान)....मैं इसके आगे भी बता रहा हूं कि जहां-जहां सतर्कता विभाग ने यह पाया कि यह मामला गंभीर है और मिसाल के तौर पर जहां यह पाया कि न केवल अनियमितताएं हैं बल्कि जहां सतर्कता विभाग का यह मत बना कि यह मामला चोरी का है, तो उसकी रिपोर्ट थाने में की और उसी प्रकार से उसमें कार्यवाही की जैसे कि चोरी के मामले में दूसरे के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। डेसू के कर्मचारियों के खिलाफ भी उसी प्रकार से कार्यवाही की गई जैसे कि औरों के खिलाफ की जाती है।

मुझे यह भी बताया गया है कि 9 मामले ऐसे थे, जिनमें यह महसूस किया गया कि यहां पर अन्डर-बिलिंग हुई है, तो उनसे रिकवरी की गई और 6028 रुपये उनसे वसूल किये गये हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह जो पूरा मामला है, वह खत्म हो गया है। इस मामले की पूरी जांच चल रही है और अगर माननीय

सदस्य को यह सहसूस होता हो कि बहुत देर हो रही है, तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जो अगला सत्र होगा, उसके पहले दिन ही हम जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रख देंगे ।

श्री रामविलास पासवान : तब तक आप मंत्री रहेंगे ? क्या बात करते हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन् हमारे यहां व्यवस्था किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं चलती है । मैं नहीं हूंगा, तो कोई दूसरा होगा वह जवाब देगा ।

श्री रामविलास पासवान : यही ब्योरोक्रेसी की टेक्टिक्स हैं कि लिंगर करो ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : तो मैं निश्चित तिथि बता रहा हूं । मैं यह कह सकता हूं कि जुलाई तक हम इसको देने की कोशिश करेंगे ।

जहां तक उच्चस्तरीय जांच का सवाल है, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, मैं समझता हूं कि इस स्टेज पर, इस वक्त यह मुनासिब नहीं रहेगा । हां, यह रिपोर्ट आने के बाद अगर जरूरत महसूस की गई, अगर आवश्यकता समझी गई, तो जैसा मैंने पहले कहा है कि अगर अनियमितताएं पाई गई और अगर कानून की खिलाफवर्जी पाई गई, तो सरकार रिपोर्ट को केवल उठाकर ऐसे ही नहीं रख देगी, बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ।

SHRI RAM VILAS PASWAN ; Sir, I want clarifications from the senior Minister, Shri Shiv Shankarji.

मैंने सीधा-साधा क्वाएंटडली सवाल किया था । यह तो हाफ-एन-आवर हमारे नाम से आ गया, नहीं तो घपले और अनियमितताओं के ऐसे मामले चलते रहते हैं जो कि पार्लियामेंट के सामने नहीं आ पाते । मैंने यह सवाल पूछा था कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने अभी तक क्या इन्क्वायरी की है ? आपने बताया कि किसी के खिलाफ चोरी का इल्जाम पाया गया है, उसके खिलाफ प्राइमाफेसी केस सिद्ध हो चुका है, उसके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

एक बिजली का मिनिमम चार्ज होता है । अगर हम अपना घर बन्द करके भी चले जाएं तो भी हमें सर्टन अमाऊंट मीटर का पे करना पड़ता है । आठ या दस रुपये पे करना पड़ता है । जिन लोगों का आठ या दस रुपये से कम का बिल आया है, उनके बारे में मंत्री महोदय यह बता दें कि उनसे आप बिजली का मिनिमम चार्ज क्या लेते हैं ? क्या उनके बारे में भी आपके विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कोई इन्क्वायरी की है और आपको कोई रिपोर्ट दी है ?

जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप चाहें या न चाहें, यदि फिर भी इस तरह का भ्रष्टाचार चलता है और आप इस तरह का जवाब देते हैं तो मैं आप पर चार्ज लगाऊंगा कि आप स्वयं भ्रष्ट लोगों को बचाना चाहते हैं । अभी तक तो मुझे इसमें डाऊट था लेकिन अब आप जो जवाब दे रहे हैं उससे में आप पर चार्ज लगाता हूं कि आप भ्रष्ट और करप्ट अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं । अगर आप इस तरह की कोशिश करते हैं तो आप अपने प्रशासन में स्वच्छता नहीं ला सकते हैं । आप मिनिस्टर हैं । मिनिस्टर की एक मर्यादा होती है, एक फर्ज होता है । मिनिस्टर जब जवाब देता

[श्री रामविलास पासवान]

है और जिसके मुंह पर कालिख लगी है उसके बारे में बताता है ।

जब मिनिमम चार्ज होता है तो जिसने एक रुपये दस पैसे दिये, उसके बारे में आपने नहीं बताया कि उसको कितना मिनिमम चार्ज देना था ? आपके विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इन्क्वायरी करके अब तक क्या पता लगाया है, यह आपने नहीं बताया ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मिनिमम चार्ज के बारे में अभी बताता हूं । श्रीमन्, मैंने पहले भी आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त किया है कि किसी को भी भ्रष्टाचार या अनियमितता के मामले में बचाने का प्रयास नही किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

जितनी देर आप सवाल पूछते हैं, अगर उतनी देर मुझे जवाब देने की इजाजत दे दें तो मैं आपको बताऊं । (**व्यवधान**)

मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाह रहा था और मैंने यह बात बार-बार कही है कि आपने जो चिन्ता इस मामले में व्यक्त की है, हम भी उतने ही चिन्तित हैं । हम आपकी चिन्ता से सहमत हैं ।

श्री रामविलास पासवान : मिनिस्टर को घर से बिजली का पैसा नहीं देना पड़ता है, इसलिए उसे चिन्ता नहीं है । आप सीधा जवाब दें, क्यों अगल-बगल कर रहे हैं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं आपको बता रहा हूं, आप मुझे कहने का मौका नहीं दे रहे हैं । पता नहीं आप क्यों नाराज हैं ? श्रीमन् सतर्कता विभाग द्वारा 63 ऐसे मामले आइडेन्टिफाई किये गये थे जिनकी पूरी इन्फर्मेशन सदन के पटल पर रखी गई थी । उनमें से 49 मामलों में सतर्कता विभाग ने अपनी जांच पूरी कर ली है ।

श्री राम विलास पासवान : आप यह क्यों नहीं बताते हैं कि उनमें आपने क्या पाया ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं राम विलास जी से पूछना चाहता हूं कि अगर वे सड़क पर किसी को अपराध करता देख लें तो क्या इसका उनको अधिकार है कि वे उसको सजा दे दें ? किसी भी चीज की सतर्कता विभाग द्वारा जांच होने के बाद, उसके निष्कर्षों को सेन्ट्रल विजिलेंस कमीशन को भेजा जाता है ।

(व्यवधान)

सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जब अपनी राय दे देता है तब कार्यवाही शुरू की जाती है । उपाध्यक्ष जी, आप तो स्वयं बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे ।

श्री रामविलास पासवान : उसके बाद सुपर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में जाएगा ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, मैंने पहले ही कहा है कि 49 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है । थोड़े से मामले बचे हैं और मैंने निश्चित तिथि भी दे दी है.... ।

श्री रामविलास पासवान : आपके जवाब से कोई सेटिसफाई नहीं हो रहा है ।

I have asked a specific question. What is the minimum charge of the meter ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं बता रहा हूं । मैं सरकार की तरफ से जवाब तो दे सकता हूं लेकिन संतुष्टि नहीं दे सकता ।

SHRI RAM VILAS PASWAN : I am very sorry. What is the minimum charge ? What is the meter charges ? You have not replied to this question. I have asked a specific question.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN: I am giving a specific reply. You please permit me to reply.

SHRI RAM VILAS PASWAN : What sort of reply have you given ? You have not replied to anything properly.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN: I am on my legs. I have not yet completed my reply. You do not know it, unfortunately.

श्री रामविलास पासवान : मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं । आप इतना सा जवाब नहीं दे सकते ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं बिल्कुल सीधा सा जवाब दे रहा हूं ।

SHRI RAM VILAS PASWAN : Don't try to defend yourself. Let the Minister of Energy Shri Shiv Shankar reply.

The Junior Minister is misleading the House.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN: What does Shri Ran Vilas Paswan mean by Junir Minister ?

श्री रामविलास पासवान : मीटर का मिनिमम चार्ज क्या ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आप बैठेंगे तभी तो जवाब दूंगा ।

MR. DEPUTY-SPEAKER ; This is not the way to discuss matters in the House. This is not the way for the Hon. Member to conduct himself in proceedings of the House.

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, क्या ये जवाब नहीं दे सकते ?

श्री रामविलास पासवान : इनको पूरी जानकारी नहीं है । शिवशंकर जी को पूरी जानकारी है ।

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN: I am not yielding. Please let me complete my reply. I am not yielding.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Nobody should interrupt a Minister when he is replying. At the time of giving reply by the Hon. Minister, on other Member can interrupt him. Unless the Hon. Minister yields, no Member can interrupt the Hon. Minister. Does the Hon. Member follow this rule ? This is not according to the Rules of Procedure of the House.

The Hon. Speaker has allowed the discussion with the idea that the facts must be known and the culprits should be punished. The Hon. Speaker has already given the assurance that nobody would be permitted to be above law.

The Hon. Member should get the facts from the Hon Minister. Let the Hon. Minister reply. The Hon. Minister also fixed the date. In spite of that, if the Hon. Member raises some other issues, it is not proper.

If the Hon. Minister is allowed to reply fully, the facts will be known. At present, I am not able to know what the Hon. Minister is saying. No Member in the House is able to follow him due to interruptions.

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मिनिमम चार्जेज के सम्बन्ध में, डेसू के अधिकारियों के लिए कोई मिनिमम चार्जेज नहीं है, मिनिमम मीटर रेट एक रुपया है। एन० डी०एम०सी० के लिए 3 रुपया है। राम विलास जी उत्तेजना में आ गए हैं। ये समझते हैं कि प्रश्न पूछना भी इनका अधिकार है और कौन जवाब दे यह अधिकार भी इनका है। ये इनको बड़ी गलतफहमी है। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो प्रश्न उठाए गए हैं उनका उत्तर दे सकूं। मैं अपनी बात को दोहराना नहीं चाहता। जैसा कि आपने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं करप्ट अधिकारियों को बचाने की।

We will nsver shield the corrupt officer. Definitely we will not try to shield a corrupt officer. But, at the same time, we connot ollow the due process of law to be corrupted.

श्री रामविलास पासवान : विजीलेंस की इन्क्वायरी के बाद क्या हुआ ? आप कब एक्शन लेंगे ?

THE MINISTER OF ENERGY (SARI P. SHIV SHANKAR) : Sir, I must compliment my friend, Mr. Arif, for handling this issue in the most deft manner. I must say that I could not have done better than what he has done. I am only sorry that the hon. Member has tried to draw a distinction between me and him. We speak with one voice. He also appreciates that. But since...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Considering our age, both of them are juniors.

SHRI P. SHIV SHANKAR : But since I do not want that he should go with dissatisfaction, I an speaking.

In fact, my colleague, Mr. Arif, has made the position clear that, so far as we are concerned, we would not spare any one, howsoever high he may be. In fact, at the time when he and myself were getting the briefing, both of us were certainly dissatisfied with certain matters that were coming to our notice. It is not possible for me to say at this stage anything because we would not like to give an impression to the officers that we are guillotining them, that we are not allowing them to have the due process of law. Actually, as Mr. Arif has very rightly put it, in 49 cases the reports have been submitted. The discipliary authority has to examine. He is taking his own time. I quite concede that quite a lot of time is being consumed. We are not defending that. But this is the official procedure. It is unfortunate. Neither myself nor my colleague, Mr. Arif, would defend this type of things. This is time-consuming. Very peculiarly, the position of DESU is like this. Administratively it is under Home Ministry, but myself and my colleague are answerable to what nonsense takes place in that Department. This is something which is rather strange. It is a dichotomy. We are confronted with this dichotomy and we have got to reconcile it. Neither myself nor my colleague is happy with the affairs that have come to light. I assure the House, as my colleague has already assured, that we will not spare any one, howsoever high he may be. The only thing is that we have got to allow the procedure to be completed. Otherwise, they will run to the court and get a stay. That is the whole difficulty. It is taking time. I quite tealise that. I share the anxiety of the House that it is taking quite a good time. The procedures that we have laid down appear to be obviously tims-consuming. We cannot help it. It is the rule of law that has got to govern. Many of us, perhaps, would have liked that many a rule must be just sidetracked for the purpose of doing some justice. The justice that people get in this country is according to law, not according to what exactly is just. We are committed to certain rules and regulations. Therefore, we are going on that point. I must submit that the competent authority who is

the disciplinary authority is going into the matter. We are not going to shield any one, I am sorry to say this, whatever may be the feeling. It is possible that some people might feel unhappy. But so far as my Ministry is concerned, I assurs the House that we are not going to spare any one.

MR DEPUTY-SPEAKER : Now he is satisfied. Mr. Ramavatar Shastri. You should be brief. Already one hour is over.

श्री रामअवतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, पहली बात तो यह बता दूं कि मैं फ्लैट में रहता हूं जो छोटा सा है, किसी बंगले में नहीं रहता हूं। इसलिए अपने बिल की भी में चर्चा करूंगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER : You cannot speak on your personal complaint. You may write a letter.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : I have also got a complaint. I will only read the figures.

दिल्ली प्रशासन के डीoईoएसoयूo में बिजली बिलों को ले कर जबरदस्त घोटाला चल रहा है पता नहीं बिजली के मीटर किस प्रकार से चल रहे हैं ? कोई उनकी खोज खबर लेता है कि नहीं ? या जो मन में आया बिल बना दिया ? इस सदन में इस सवाल को बार-बार उठाया गया है, जिसकी चर्चा की गई फिर भी बिजली बिलों में कमी नहीं आ रही है, खासतौर से जो हम लोग जानते हैं।

19.00 hrs.

मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान अपने बिजली बिलों की ओर दिलाना चाहता हूं और जानता हूं इनके पीछे क्या राज है ? मई 1983 में मुझे 29.65 पैसे देने पड़े, जून, 1983 में 81.80 पैसे, जुलाई, 1983 में 14 रु०, अगस्त 1983 में 11.50 पैसे का भुगतान करना पड़ा परन्तु आश्चर्य है कि सितम्बर में बिजली राशि बढ़ कर 56.90 पैसे हो गई। अक्तूबर का बिल मेरे पास नहीं है, मिला नहीं इसलिए अमाउन्ट नहीं बता सकता, नवम्बर, 1983 में 103.02 पैसे हो गया, फिर दिसम्बर 1983 में 140.78 पैसे हो गया। और यह है फ्लैट का, बंगले का नहीं है। उसके बाद जनवरी, 1984 में 100.03 पैसे का बिल हो गया और फरवरी, 1984 में 152.20 पैसे का बिल भुगतान करना पड़ा। मैक्सिमम हमको 152.20 पैसे का बिल भुगतान करना पड़ा और मिनिमम 11.50 पैसे। और जाड़े में तो पंखे नहीं चलते हैं, केवल बल्ब जलते हैं या हीटर चलेंगे। तो इससे यह जरूर अंदाज लगता है। फिर भी इतना अधिक बिल कैसे आ रहा है यह सचमुच में पता लगाने का विषय है। यह सिर्फ एक दो, आदमी का नहीं है, कितनों का ही है। इससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी जरूर है जिसका पता लगाने में जांच समिति महीनों के बाद भी अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। आपके मुताबिक भी सितम्बर से जांच शुरू हुए कई महीने हो गये।

तो मैं सवाल करना चाहता हूं कि आपका जो सतर्कता विभाग है उसके सदस्य कौन हैं ? और उनके स्वयं के बिजली के बिल का क्या हाल है ? और मैं समझता हूं कि सतर्कता विभाग पूरा न्याय नहीं कर सकेगा जांच करने में मुझे संदेह है। तो क्यों नहीं आप सीoबीoआईo से जांच करवाते ?

एक माननीय सदस्य : उनके बिल कम हो जायेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : फिर भी अभी तक माना जाता है कि सी०बी०आई० वाले औरों से ठीक हैं।

श्री भीकू राम जैन : (चांदनी चौक): मिथ है।

श्री रामावतार शास्त्री : ठीक है।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : शास्त्री जी फारसी का एक शेर है :

हर कि दर कानि,
नमकरफत नमक शुद।

यानी जो नमक की खान में गया वह नमक हो गया।

श्री रामावतार शास्त्री : आपके यहां चोरियां भी बहुत होती हैं, जिसकी आपने चर्चा की। तो अगर इसका भी ब्यौरा दे सकें कि डी०ई०एस०यू और एन०डी०एम० सी० को चोरियों की वजह से कितना घाटा हो रहा है? . . .

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो डेसू के बड़े अधिकारी हैं—मैं छोटे कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूं....

श्री भीकू राम जैन : उनके बारे में आप नहीं कह सकते। वे तो आपकी फौज हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : अगर वे गड़बड़ करें, तो उनको भी सजा दीजिए। मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आमतौर पर बड़े-बड़े मगरमच्छ ही गड़बड़ करते हैं।

जो बरसों से डेसू के बड़े-बड़े अधिकारी हैं, क्या सरकार ने उनकी सम्पत्ति का ब्यौरा लेने की कोशिश की है? क्या वे मालदार बन गए हैं या भिखारी बन गए हैं या जहां थे, वहीं हैं? मैं जानना चाहता हूं कि डेसू के अधिकारियों की आर्थिक स्थिति या सम्पत्ति की स्थिति क्या है।

बड़े बड़े अधिकारियों को बहुत तन्खवाहें मिलती हैं। उनको बिजली के सम्बन्ध में छूट देने का कायदा बनाने का क्या औचित्य है?

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, डेसू की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि जो अंडरटेकिंग्ज उसको बिजली सप्लाई करती हैं, उनके तकाजे के बावजूद वह बरसों से उनके करोड़ों रुपयों की पेमेंट नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ जिन लोगों से डेसू ने पैसा लेना है, वह उनसे लाखों रुपए रीकवर भी नहीं कर रहा है।

श्री पासवान की बातों और मंत्री महोदय के उत्तर को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि यह मामला कोई अंडरबिलिंग का नहीं है, बल्कि लार्ज-स्केल मीटर-टेम्परिंग का है। मंत्री महोदय ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि इसमें कोई असाधारण बात है, इतना कम बिल नहीं होना चाहिए। जब सम्बद्ध कानून के तहत साधारण मीटर-चोर के विरुद्ध एफ० आई० आर० दिया जाता है, तो बिजली की चोरी के लिए इन अधिकारियों के खिलाफ एफ०आई०आर० दायर क्यों नहीं किया गया? जब यह मामला मंत्री महोदय के नोटिस में आया, उस समय एफ०आई०आर० दायर नहीं किया गया। जब मामला हाउस में उठा और उसको डिसकस कर लिया गया, उसके बाद एक एफ०आई०आर० दायर हो और विजिलेंस विभाग द्वारा उसकी जांच की जाए, यह बात कुछ समझ में नहीं आती। ऐसा लगता है कि या तो आर्गनाइजेशन

द्वारा मंत्री को प्रापरली फीड नहीं किया गया है, या गड़बड़ को प्राप्तरली पकड़ने की कोशिश नहीं की गई। मंत्री महोदय इस शंका को दूर करने की कोशिश करें। इस मामले से डेसू के प्रशासन का खोखलापन जाहिर हुआ है।

अखबारों में छपा था कि डेसू के बहुत से अधिकारी कुछ निजी कम्पनियों को किसी प्रकार की कनसेशन देते रहते हैं, जिनके हैडक्वार्टर दिल्ली में हैं, मगर काम-काज अन्यत्र भी है। उनके प्रभाव का इस्तेमाल करके डेसू के अधिकारी एक तरफ बरसों से मिडल ईस्ट में नौकरी कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनका लियन डेसू के साथ मेनटेन्ड है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने अधिकारी हैं, वे कितने समय से मिडल ईस्ट या दूसरी जगहों पर काम कर रहे हैं, जबकि डेसू के साथ उनका लियन मेनटेन्ड है और इसका क्या कारण है।

27 फरवरी के **नवभाइत टाइम्स** में एक न्यूज में कहा गया है कि डेसू में चार अधिकारी ऐसे हैं—यह मामला अगर हाउस में उठ चुका है और वहां पर उनके नाम लिए जा चुके हैं; वे हैं डा० के०के० शर्मा, एच०आर० खन्ना, सी०एल० शर्मा और वाई०आर० सोनी, और वे सब एडमिनिस्ट्रैटिव आफिर हैं—जिनको सी०बी०सी० ने दोषी पाया और रीकमेंड किया कि उन पर मेजर पिनेल्टी इम्पोज होनी चाहिए, उनको मेजर पनिशमेंट देनी चाहिए। लेकिन जिन अधिकारियों के खिलाफ सी०बी०सी० ने यह संस्तुति दी है, उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का ऊपर का प्रशासन उनको बचाने में लगा हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह हकीकत है। यह ठीक है कि उनपर मंत्री महोदय का सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है, लेकिन जब सरकार को पार्लियामैंट में उनकी वजह से छीछा-लेदर सहन करनी पड़ रही है, तो क्या आप अपने सहयोगी मंत्रालय को और माननीय गृह मंत्री महोदय को यह कहेंगे कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ यदि कोई मामला सी. वी. सी. ने रेकमैंड किया है तो उन के खिलाफ वह स्ट्रिक्ट ऐक्शन लें। ये दो सवाल हैं।

यह डेसू इतना पापुलर है कि मैं बाहर पानी पीने के लिए गया तो मुझे तीन चार लोगों ने, मेम्बर्स ने इधर उधर से कतरनें ला कर दीं जिस में किसी ने कहा ये जो बिल देते हैं उस में किसी के साइन नहीं होते हैं, किसी ने कहा कि मन्थली मीटर रीडिंग नहीं करते हैं, किसी ने कुछ और प्रकार की बातें कीं। जब इतने आरोप चलते-चलते लोगों ने लगाए, भले ही मेरा अपना अनुभव जो है वह यह है कि डेसू ने अपनी वर्किंग में कुछ सुधार किया है, ब्रेक डाउन इत्यादि घटे हैं, और भी कुछ सुधार है मगर इस के बावजूद भी जो प्रशासन में कमियां हैं उन को कब तक छिपा कर हम अपने ऊपर दोष लें और सम्मानित मेम्बर्स को उस के लिए एजीटेट करना पड़े ? जब मेम्बर्स एजीटेटेड हों और जब आप को यह लगे कि इतना गम्भीर मामला है तब जा कर उस में कोई ऐक्शन हो, यह बात समझ में नहीं आती है। माननीय मंत्री जी इन प्रश्नों के जरा स्पष्ट उत्तर देने की कृपा करें।

SHRI SUDHIR GIRI (Contai) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I am satisfied witn answer given by Shri Shiv Shankar that nobody will be spared however high he may be. He will be brought to

book and dealt with according to the process of law. So, I am not going to deal with corruption among the officers.

Sir, the pilferage of power is widespreadr It is not only in Delhi but also elsewhere. So, I want to know from thc Hon. Minister what is the total number of personnel who prepare the electric bills ; What is the total number of people who are only for meter reading ; and whether the total selling price of the total volume of energy generated is equal to the total amount of money realised from electric bills. What is the existing machinery which checks whether the meter reading personnel have been working properly ? What is the machinery of checking whether the personnel who prepare bills are working according to the prescribed norms ; Whether the total number of people engaged for meter reding and bill preparation are compatible with the requirements of personnel for these purposes and whether it will be arranged that the meter reading personnel would contact the customer and get his or his agent's signatures oo the meter reading sheet.

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्बर आखिरी है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन पूछने की स्थिति में मैं नहीं हूं । लेकिन में इसलिए कुछ कहना चाहती हूं कि हमारे बिल बढ़ते जाते हैं और पता नहीं चलता कि क्यों ? मुझे बताया गया कि आप ठण्ड के दिनों में हीटर लगाती हैं, या और चीजें लगाती हैं इसलिए यह ऐसा है । तो मेरे सामने सवाल आया कि पिछले साल मैंने कम लगाया और इस साल ज्यादा लगाया, क्या हमारे घर में कुछ ज्यादा लोग पैदा हो गए या क्या हो गया ? मुझे तो कुछ नहीं मालूम कि यह कैसे हो गया ?. मैं यह कह रही हूं कि कहां गलती है यह देखना चाहिए । मैं सारे वित्स में नहीं पड़ती हूं । अभी बिल आया है जनवरी, फरवरी का 672 रुपये 40 पैसे का और पिछले साल वह बिल मेरा 287 रुपये का था ।

(व्यवधान)

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है । दूसरा बिल भी मैं पे करती हूं पार्टी का । बात कुछ दूसरी है इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि इस में कहीं न कहीं गलती है, वह आप देखिए ।

हमें यह बताया जाता है कि लाइन वगैरह कुछ गलत है । यह क्या है माननीय बूटा सिंह जी चले गए, यह उन को देखना पड़ेगा । मैं केवल अपनी बात कहूं, यहां इस के लिए हम नहीं आए हैं । दिल्ली में ही नहीं जगह-जगह पर इलेक्ट्रिसिटी की चोरी की वजह से लोगों को परेशानी है ।

दिल्ली शहर मे यह ज्यादा है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो जनता यहां पर आकर बोल नहीं सकती है, उसके लिए हमें बोलना चाहिए । आज दिल्ली में इतने अधिक कंज्यूमर्स हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है । और अगर सुनवाई करने लग जाते हैं तो पता चलता है कि डेसू और एन.डी.एम.सी. की ओर से ऐसे काम हो रहे हैं । इन कामों के बारे में अगर आप कार्यवाही नहीं करेंगे और जनता की शिकायतें इसी तरह से बनी रहेंगी तो शायद चुनाव में आपको इसका जवाब देना पड़े ।

दूसरी बात यह है कि डेसू में 20 करोड़ का घाटा होता है और 20 करोड़ की चोरी स्टोर्स से होती है—ऐसी खबर भी अखबारों में आई है । यह खबर कुछ रेस्पांसिबल एसोसिएशन्स ने दी हैं । तो इस

प्रकार से जो चोरी हो रही है उसको रोकने के लिए आप कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं।

इसी प्रकार से डेसू की ओर से जो बिजली कंज्यूमर्स को दी जाती है, उसकी मीटरिंग नहीं होती है। बीच में आपने बिलों का कम्प्यूटराईजेशन भी शुरू किया लेकिन उसके खिलाफ भी बहुत लोगों ने शिकायत की है और कहा है कि इसको बदलना चाहिए। अगर यह साइंटिफिकली हो सकता है तो हो वरना मैं यह कहना चाहती हूं कि एक यह सुझाव आया है कि हर कंज्यूमर के पास मीटर-रीडिंग की किताब रहे और वह खुद देखे कि पिछले समय में कितनी बिजली का इस्तेमाल हुआ और अगर वह देखेगा कि मीटर-रीडिंग के बारे में कुछ गल्ती हो गई है तो शिकायत लेकर जायेगा। जो व्यवस्था हैदराबाद व कुछ अन्य शहरों में है वह दिल्ली में आज तक नहीं हुई है।

इसी प्रकार से दिल्ली में 26 हजार अनअथराइज्ड इण्डस्ट्रीज चल रही हैं जोकि बिजली इस्तेमाल करती हैं। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को उन अनअथराइज्ड इण्डस्ट्रीज से जो कर की हानि हो रही है वह अलग बात है लेकिन बिजली इस्तेमाल करने के बावजूद उनके पास चूंकि लाइसेन्स नहीं है इसलिए मीटर भी नहीं है और जब मीटर नहीं है तो रीडिंग भी नहीं होती है और इस तरह से जो बिजली के इस्तेमाल करते हैं उसका पैसा डेसू के पास नहीं जाता है। इसलिए यह भी देखने की बात है कि दिल्ली में जो बिजली इस्तेमाल की जाती है जिसका पैसा आपको मिलना चाहिए वह आपको पूरा मिलता है या नहीं। इसके अलावा जो मीटर रीडर्स हैं वे भी काम के मुताबिक कम रखे गए हैं—यह भी शिकायत है। इसलिए क्या आप ज्यादा तादात में मीटर रीडिंग इंस्पेक्टर्स रखेंगे। अगर नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलायेंगे ?

इसके अलावा जो जानबूझ कर लोगों के बिलों को बढ़ा दिया जाता है, जैसे दो तीन कमरों में रहने वालों का बिल दो हजार रुपए का जानबूझ कर बना दिया जाता है। जब वे उसको लेकर जाते हैं तो ऐसे बिलों को सेटिल किया जाता है और इस तरह से बिलों को सेटिल करने में जो करप्शन हो रहा है, उसके बारे में भी क्या शिकायतें आई है और क्या इस सम्बन्ध में किसी के विरुद्ध आपने कार्यवाही की है, किसी को गिरफ्तार किया है ? मेरा सुझाव है कि डेसू और एन. डी. एम. सी दोनों के ही काम करने की व्यवस्था के बारे में जांच करने के लिए एक कमेटी नियुक्त होनी चाहिए। साथ ही कंज्यूमर्स की शिकायतों को हल करने के लिए एक कोई परमानेन्ट बाडी गठित की जानी चाहिए जहां पर जाकर कंज्यूमर्स अपनी शिकायतों को दूर करवा सकें। इस प्रकार का कोई यन्त्र अवश्य बनाया जाना चाहिए। अगर किसी का मीटर खराब हो जाता है तो उसके बारे में तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। अगर किसी का मीटर खराब हो जाता है तो बाद में एवरेज निकालकर उसको बिल दिया जाता है। लेकिन शादी के समय मीटर बिगाड़ दिया जाता है और बाद में तीन महीने के एवरेज के आधार पर बिल बना दिया जाता है। इस बारे में मेरा सुझाव है कि अच्छा तो यही होगा कि शादियों में लाइट लगाई ही न जाय लेकिन अगर इसको आप नहीं रोक सकते हैं तो

[श्रीमती प्रमिला दण्डवते]

उनसे आप पहले ही कुछ एक्स्ट्रा डिपाजिट करवा लीजिए वरना वे बिजली भी जलायेंगे और उसका बिल भी नहीं अदा करेंगे। साथ ही साथ आपको मीटर की रेग्युलर चेकिंग के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। पिलफ़ेज वगैरह जो हो रहा है, चोरी वगैरह जो हो रही है, उस की ओर ध्यान देना-चाहिए। एक बात मैं यह कहना चाहती हूं कि दिल्ली के लिए जो 65 करोड़ रुपए की परचेजिंग होती है, उसके बारे में इंडियन एसोसिएशन ने कहा है कि करोड़ों रुपयों का माल जंक खाता है, जिसको बाद में वैसे ही बेच दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि सामान पब्लिक अंडरटेकिंग से नहीं खरीदा जाता है, प्राइवेट पार्टी से खरीद लिया जाता है। एक सुझाव यह भी आया था कि सारा सामान पब्लिक अंडरटेकिंग से खरीदना चाहिए। इस प्रकार सामान खरीदने से बाद में स्पेयर पार्ट्स इतने मंहगे हो जाते हैं कि डेसू को उसके लिए खर्च ज्यादा करना पड़ता है। कंडक्टर्स भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स से नहीं लेते हैं। प्राइवेट पार्टी से लिए जाते हैं। इसकी ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। इसकी जांच के लिए आपको एक जांच कमेटी नियुक्त करनी चाहिए, ताकि सारा प्रोसेंस स्ट्रीमलाइन हो सके। इनर्जी हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए उस की किसी भी प्रंकार से वेस्टेज नहीं होनी चाहिए।

राम विलास जी ने बिलिंग के बारे में प्रश्न उठाया है, मैं पूछना चाहती हूं कि प्रश्न के उठाने के बाद उन अधिकारियों के बिल कितने के आ रहे हैं ? क्या वे बढ़ गए हैं या अभी भी वे 2-4-5-10 रु० ही दे रहे हैं ? यदि वे अब भी इतना ही दे रहे हैं तो सवाल यहां पर उठाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं पूछना चाहती हूं कि क्या यह व्यवस्था हुई या नहीं कि उन्होंने अपने बिल ठीक देने शुरू कर दिए हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : माननीय उपाध्यक्ष जी, राम विलास जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह डेसू अधिकारियों के बिजली बिलों से संबंधित है। उसके अलावा जिन माननीय सदस्यों ने इसमें बाद में हिस्सा लिया है....

श्री राम विलास पासवान : डेसू और एन.डी.एम.सी. दोनों के लिए हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : अधिकारियों के बिलों के संबंध में हैं, चाहे वे अधिकारी डेसू के हों या एन.डी.एम.सी. के हों। कुछ ऐसे प्वाइंट्स सम्माननीय सदस्यों द्वारा सदन में उठाए गए हैं। श्रीमन् वे सीधे इस विषय से संबंधित नहीं हैं। लेकिन यह कहने के बजाए कि उनको उत्तर देने के लिए मुझे अग्रिम सूचना चाहिए, मैं आपसे यह इजाजत चाहूंगा कि जो प्वाइंट्स उन्होंने उठाए हैं, वे हमने नोट कर लिए हैं। जो प्रशासन से संबंधित बातें हैं, जो सुझाव हैं, वे हम माननीय गृह मंत्री जी को या गृह मंत्रालय को भेज देंगे। जो हम से संबंधित हैं, वे हमने नोट कर लिये हैं। उनको हम देखेगें और जहां जरूरी होगा हम सारी जानकारी माननीय सदस्यों को सप्लाई कर देंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : चोरी तो आपसे संबंधित है। उसको तो आप को देखना चाहिए।

श्री पी० शिव शंकर : आप म्यूनिसिपिल कारपोरेशन के एक्ट को पढ़िए।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : यदि यह भी अग्रिम सूचना मिल गई होती कि चर्चा सिर्फ अधिकारियों के बिजली बिलों के बारे में ही नहीं होगी, माननीय सदस्यों के बिजली बिलों के बारे में भी होगी, तो (**व्यवधान**).... मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूं। जहां पर आप शिकायत महसूस करते हैं, जरूर कहना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : कम्पैरेटिवली दोनों के बारे में हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैंने उसको अनुचित नहीं कहा है।

श्री राम विलास पासवान : आपने कहा है कि सिर्फ अधिकारियों का था, दोनों का था। अधिकारियों के बिल कम हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : पासवान जी की कमी नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी कमी बता रहा हूं। उसके लिए मैं आपके माध्यम से इनसे क्षमा चाहता हूं।

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के उत्तर से सारी दिल्ली इन्टरेस्टेड है। किसी एक संसद सदस्य का सवाल नहीं है, दिल्ली की सारी जनता का सवाल है।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : बिल्कुल सही है। मैंने पहले ही कहा है कि मुझ से ज्यादा मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री शिव शंकर जी ने कहा है।

जहां पर भी अनियमितता या भ्रष्टाचार के मामले सरकार को बतलाये जायेंगे या सरकार की नोटिस में आयेंगे उन के खिलाफ वैधानिक प्रावधान के अनुसार जांच कर के सख्त-से-सख्त कार्यवाही की जायगी।

माननीय सदस्य रामावतार शास्त्री जी ने सतर्कता विभाग की 5 सितम्बर के बाद की कार्यवाही का उल्लेख किया है। हम आप के सुझावों पर जरूर गौर करेंगे और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि 5 सितम्बर के बाद एन्कवायरी में काफी प्रगति हुई है। जहां तक आप के दूसरे सुझाव सी. बी. आई. द्वारा जांच—का ताल्लुक है, मैं ऐसा समझता हूं, अगर इस स्टेज पर आप के सुझाव को मान लिया जाय तो जैसा हमने अगले सत्र के पहले दिन तक रिपोर्ट को सदन की पटल पर रखने के लिये कहा है, वह पूरा नहीं कर सकेंगे, इस लिये कि वह एक अन्य संस्था है और वह अपने नियमों और कायदों के अनुसार जांच की कार्यवाही करेगी और चूंकि इस में ज्यादा तादाद में अधिकारी हैं जिन के खिलाफ शिकायत हैं, इसलिये इसमें ज्यादा समय लगेगा।

अधिकारियों की सम्पत्ति आदि के जो मामले हैं उन के बारे में आप ने जो कहा है वह रिकार्ड पर है। आप की सजेश्न्स को नोट कर लिया गया है और ऐसे सारे मामले जिन का हम से सम्बन्ध नहीं है हम उन को गृह मंत्रालय को भेज देंगे।

हरीश रावत जी ने डेसू के पैसे की रिकवरी और आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा है—हमें भी इस बारे में उतनी ही चिन्ता है जितनी हरीश जी को है। इस में भी जिन बातों से हमारा सम्बन्ध नहीं है, उनके बारे में मैं फिर वही बात दोहराउंगा कि उन मामलों को गृह मंत्रालय को भेज

देंगे। जहां तक अरब और मिडिल ईस्ट की कन्ट्रीज में जो अफसर लम्बे अर्से से गये हैं, चूंकि इस प्रश्न की आगामी सूचना मुझे नहीं थी, इस लिये उनकी जानकारी मैं इस समय नहीं दे पाउंगा, बाद में इस की जानकारी उनको दे दूंगा।

श्री हरीश रावत : यह जानकारी मुझ को ही नहीं, बल्कि सदन के पटल पर रख दें।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्री सुधीर गिरी और श्रीमती दण्डवते जी ने भी अनेक प्रश्न पूछे हैं जिन में उन पर्सोनेल के बारे में पूछा गया है जो बिल तैयार करते हैं और जो मीटर रीडिंग के लिये जाते हैं। उन्होंने यह भी पूछा है कि कितनी पावर जैनरेटर की जाती है—ये सूचनायें भी इस समय उपलब्ध नहीं हैं, यदि आप चाहेंगे तो ये सूचनायें माननीय सदस्यों को या माननीय सदन को उपलब्ध करा दूंगा।

श्रीमती दण्डवते जी ने अपने बिजली के बिल के बारे में कहा है-यदि उस के बारे में उन्होंने मुझे सदन के बाहर भी बतला दिया होता कि उस में क्या शिकायत है या क्या अनियमितता है तो मैं उसको देख लेता। फिर भी मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जो भी जानकारी आप की तरफ से दी जायेगी हम उस को देख लेंगे और सुधार करेंगे।

श्रीमति प्रमिला दण्डवते : मैंने जांच करने के लिये कहा था।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जांच के लिये मैंने पहले ही कहा है—इस स्तर पर यदि हम किसी दूसरी संस्था के द्वारा जांच करायेंगे तो उस से पहली जांच प्रभावित हो जायेगी क्योंकि वे सारे कागज दूसरे जांच अधिकारियों को सौंपने पड़ेंगे और वे फिर नये सिरे से जांच करेंगे जिस में देर लग सकती है। इस लिये यह स्टेज उस के लिये उचित नहीं है। जो जांच इस समय चल रही है उस की रिपोर्ट आ जाने के बाद माननीय उर्जा मंत्री जी या सरकार यह आवश्यक समझेगी तो जरूर उस पर गौर करेंगे।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मैंने जो सवाल उठाया है वह बिल का सवाल नहीं है, मैंने तो टोटल फंक्शनिंग में जो करप्शन है उस के बारे में कहा है। वह बिलकुल अलग बात है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय सदस्या का सुझाव हम गृह मन्त्रालय को भेज देंगे।

19.30 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March 22, 1984/Chaitra 2, 1906 (Saka)

Printed at : Sunlight Printers, Delhi-6.